गोपाल स्वरूप

बनाम

कृष्णा मुरारी मंगल एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 6801 / 2003)

नवंबर 25, 2010

[मार्कंडेय काटजू एवं टी. एस ठाकुर, जे.जे.]

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925; धारा 63 - वसीयत का निष्पादन - साबित करने के लिए जरुरी आवश्यकताएं - चर्चा की गई - वर्तमान मामले में, प्रमाणित करने वाले गवाह के बयान से साबित हुआ कि वसीयतकर्ता ने प्रतिपादक के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी और उसकी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए थे – वसीयत कर्ता के हस्ताक्षर वसीयत में उपयुक्तता से किये गए थे - प्रमाणित करने वाले गवाह का बयान यह था कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए जाने के समय वह एवं अन्य प्रमाणित करने वाले गवाह मौजूद थे और दोनों गवाहों ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। वसीयतकर्ता:- धारा 63 की आवश्यकताएं पूरी की गईं - निचली अदालत एवं उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने समवर्ती रूप से माना था कि वसीयत का निष्पादन संतोषजनक रूप से साबित हुआ था - उच्च न्यायालय की दोहरी खंडपीठ ने उक्त निष्कर्ष को उलटने में त्रुटि की- साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 68 - वसीयत - अपील।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: धारा 68 - अभिनिर्धारित किया: जहां साबित करने के लिए मांगे गए दस्तावेज़ को सत्यापित करने की आवश्यकता है, उसे साक्ष्य में तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि साक्ष्य देने वाले गवाहों में से कम से कम एक को साक्ष्य साबित करने के प्रयोजन से नहीं बुलाया गया हो, यदि कोई ऐसा गवाह जीवित है और साक्ष्य देने में सक्षम है – विलेख एवं दस्तावेज - गवाह - प्रमाणित करने वाला गवाह - उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 - धारा 63।

अपील: लेटर पेटेंट अपील - एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की दूसरी अपील पर सुनवाई करते हुए लेटर पेटेंट पीठ की शक्ति - अभिनिर्धारित किया: लेटर पेटेंट पीठ, निचली अदालत एवं एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्य की समवर्ती खोज में हस्तक्षेप कम करेगी। प्रथम अपील - हालाँकि, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, जहाँ निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत, तर्कहीन या विकृत है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने संयुक्त परिवार की संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी संख्या 1, वादी के पिता संयुक्त परिवार के 'कर्ता' थे। मुक़दमे की सुनवाई के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता ने कथित तौर पर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा निष्पादित एक वसीयत तैयार की, जिसके तहत उसने अपना हिस्सा अपीलकर्ता को हस्तांतरित कर दिया। निचली अदालत द्वारा मुकदमे का फैसला सुनाया गया था। निचली

अदालत ने यह भी पाया कि अपीलकर्ता द्वारा स्थापित वसीयत विधिवत साबित हुई थी और उसके संदर्भ में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा छोड़ी गई संपत्ति अपीलकर्ता को हस्तांतरित होगी।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने निचली अदालत के निष्कर्षों की पुष्टि की। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने लेटर पेटेंट अपील दायर की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और अभिनिर्धारित किया कि वसीयत का निष्पादन साबित नहीं हुआ क्योंकि अकेले गवाह डीडब्ल्यू-2 ने यह साबित नहीं किया कि वसीयतकर्ता ने दूसरे गवाह की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे एवं दूसरे गवाह ने वसीयत पर प्रमाणित करने वाले गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये थे। वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया गया कि:

1. एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न लेटर पेटेंट अपील में, एक सिविल द्वितीय अपील की सुनवाई करने वाली उच्च न्यायालय की खण्डपीठ तथ्य की खोज को रिकॉर्ड करने के लिए साक्ष्यों पर दोबारा विचार नहीं करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सी.पी.सी. की धारा 100 द्वारा न्यायालय पर लगाई गई सीमाओं के आलोक में एकल

न्यायाधीश स्वयं ऐसा नहीं कर सकता है। हालाँकि, यह लागू नहीं हो सकता है जब एकल न्यायाधीश उसके समक्ष दायर पहली अपील में कोई आदेश पारित करता है। यहां तक कि जब एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्य का निष्कर्ष निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की पुष्टि कर सकता है, तो लेटर पेटेंट अपील की सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा ऐसे किसी भी निष्कर्ष की जांच करने पर कोई जाहिरा रोक नहीं है। यहां तक कि तथ्य की खोज की जांच के लिए किसी भी कानूनी बाधा के अभाव में, एक लेटर पेटेंट बेंच पहली अपील में निचली अदालत एवं एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्य की समवर्ती खोज में हस्तक्षेप करने में धीमी होगी। न्यायालय वहां हस्तक्षेप कर सकती है जहां निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है या बिना किसी साक्ष्य के अतार्किक एवं विकृत है। विवेकाधीन होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रयोग किये जाने वाले क्षेत्राधिकार का प्रयोग न्यायिक तर्ज पर किया जाना चाहिए। [पैरा 9) [220-एफ-एच; 221-ए]

श्रीमती आशा देवी बनाम दुखी साव एवं अन्य। 1974 (2) एससीसी 492; बी. वेंकटमुनि बनाम सी.जे. अयोध्या राम सिंह एवं अन्य। (2006) 13 एससीसी 449 - पर निर्भर।

2.1. निचली अदालत एवं उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने, तत्काल मामले में, समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया था कि वसीयत का

निष्पादन संतोषजनक ढंग से साबित हुआ था। हालाँकि, लेटर पेटेंट बेंच ने उस निष्कर्ष को मुख्य रूप से इस आधार पर उलट दिया था कि वसीयत का निष्पादन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के साथ पढ़े गए साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में साबित नहीं हुआ था। यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहां साबित करने के लिए मांगे गए दस्तावेज़ को कानून द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है, उसे साक्ष्य में तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि साक्ष्य देने वाले गवाहों में से कम से कम एक को सत्यापन साबित करने के प्रयोजन से नहीं बुलाया गया हो, यदि ऐसा कोई हो प्रमाणित करने वाला गवाह जीवित है और साक्ष्य देने में योग्य है और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 विशेषाधिकार रहित वसीयत के निष्पादन से संबंधित है और अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि उक्त प्रावधान में उल्लिखित लोगों को छोड़कर प्रत्येक वसीयतकर्ता उसमें निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी वसीयत निष्पादित करेगा। दोनों प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा है या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश से वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है या वसीयतकर्ता से हस्ताक्षर या चिह्न या उसके हस्ताक्षर या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर

की वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है और प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68, साक्ष्य में वसीयत के उपयोग के खिलाफ है जब तक कि निष्पादन को साबित करने के लिए एक प्रमाणित करने वाले गवाह की जांच नहीं की गई हो। धारा 63 के प्रावधानों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चलेगा कि वसीयत के निष्पादन के प्रमाण के लिए चार पहलुओं को साबित करने की आवश्यकता होगी; (1) वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं या अपना चिन्ह लगाया है या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देशन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर किए गए हैं। (2) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिन्ह या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर इस प्रकार रखे गए हैं कि यह प्रतीत होता है कि लेखन को वसीयत के रूप में प्रभावी करने का आशय है। (3) वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं या अपना चिन्ह लगाया है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा गया है या वसीयतकर्ता से चिह्न के हस्ताक्षर या किसी दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है। (4) प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं। [पैरा 10-13) [221-सी-जी-एच; 222-ए-जी-एच; 223-ए-जी]

भगवान कौर पत्नी बचन सिंह बनाम करतार कौर पत्नी बचन सिंह एवं अन्य 1994 (5) एससीसी 135; सेठ चंद (मृत्यु के बाद से) अब जरिये विधिक उत्तराधिकारीगण बनाम श्रीमती कमला कुँवर एवं अन्य द्वारा 1976 (4) एससीसी 554; जानकी नारायण भोईर बनाम नारायण नामदेव कदम 2003 (2) एससीसी 91; गुरदेव कौर एवं अन्य बनाम काकी एवं अन्य 2007 (1) एससीसी 546; युमनाम ओंगबी तंफा इबेमा देवी बनाम युमनाम जॉयकुमार सिंह एवं अन्य 2009 (4) एससीसी 780; रूर सिंह (मृत) जरिये विधिक उत्तराधिकारीगण के माध्यम से एवं अन्य बनाम बचन कौर 2009 (11) एससीसी 1; अनिल काक बनाम कुमारी शारदा राजे एवं अन्य 2008 (7) एससीसी 695, पर निर्भर।

2.2. धारा 63 में निर्धारित आवश्यकताओं को वसीयत के अपीलकर्ता-प्रतिपादक द्वारा तत्काल मामले में संतुष्ट किया गया था। यह विवादित नहीं है कि गवाहों में से एक डीडब्ल्यू-2 को बुलाया गया था और गवाह के रूप में उसका परीक्षण किया गया था। डीडब्ल्यू-2 के बयानों से यह स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि वसीयतकर्ता ने अपीलकर्ता के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी और उसकी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए थे। निचली अदालत एवं उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पर प्रमाणित करने वाले गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे । वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर वसीयत के दाहिने निचले भाग पर अंकित हैं। इसलिए,

दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर का स्थान उचित और स्पष्ट रूप से इस तथ्य का संकेत था कि दस्तावेज़ को वसीयत के रूप में प्रभावी करने का आशय था । डीडब्ल्यू-2 ने स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप से कहा था कि न केवल वह, बल्कि वसीयत को प्रमाणित करने वाला अन्य गवाह भी उस समय मौजूद था जब वसीयतकर्ता ने वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए थे। जिरह में उक्त बयान पर सवाल नहीं उठाया गया था और न ही इस आशय का कोई सुझाव दिया गया था कि जब डीडब्ल्यू-2 मौजूद था, तो दूसरा प्रमाणित करने वाला गवाह उस समय मौजूद नहीं था जब वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर किए गए थे। दरअसल में, गवाह ने एक स्पष्ट बयान दिया कि दूसरा गवाह न्यायालय में वसीयतकर्ता से मिला था और उसे अपने साथ ले जाया गया था और न केवल वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर करते समय, बल्कि रजिस्ट्रार के समक्ष भी दूसरा गवाह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था। डीडब्ल्यू-2 के बयान को सावधानीपूर्वक और उचित ढंग से पढ़ने से पता चला कि दो प्रमाणित करने वाले गवाहों ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते हुए देखा था, और प्रमाणित करने वाले गवाहों ने भी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 में निर्धारित सभी चार आवश्यकताएँ दृढ़ता से कायम हुईं। मामले को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह निर्णय लेने में त्रुटि की कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 की आवश्यकता

वर्तमान मामले में पूरी नहीं हुई है। दस्तावेजों के प्रमाण के मामले में, जैसा कि वसीयत के प्रमाण के मामले में, गणितीय निश्चितता के साथ प्रमाण की अपेक्षा करना व्यर्थ है। हमेशा लागू की जाने वाली कसौटी ऐसे मामलों में विवेकशील मस्तिष्क की संतुष्टि की कसौटी है। उस परीक्षण को मौजूदा मामले में लागू करने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचाराधीन वसीयत एक विधिवत पंजीकृत दस्तावेज था और किसी भी प्रकार की एवं किसी भी संदिग्ध परिस्थिति से घिरा नहीं था और यह विधिवत और उचित तरीके से निष्पादित साबित हुआ था। [पैरा 13-17] (223-बी; 224-ई-एफ; 225-ए-डी; 225-ई-एच)

एच. वेंकटचला अयंगर बनाम बीएन थिम्माजम्मा एआईआर 1959 एससी 443 पर भरोसा किया।

नजीरी कानून संदर्भ:

1974 (2) एसएससी 492	पैरा 9	पर भरोसा किया
(2006) 13 एसएससी 449	पैरा 9	पर भरोसा किया
1994 (5) एसएससी 135	पैरा 14	पर भरोसा किया
1976 (4) एसएससी 554	पैरा 14	पर भरोसा किया
2003 (2) एसएससी 91	पैरा 14	पर भरोसा किया
2007 (1) एसएससी 546	पैरा 14	पर भरोसा किया

2009 (4) एसएससी 780 पैरा 14 पर भरोसा किया

2009 (11) एसएससी 1 पैरा 14 पर भरोसा किया

2008 (7) एसएससी 695 पैरा 14 पर भरोसा किया

एआईआर 1959 एससी 443 पैरा 17 पर भरोसा किया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6801 / 2003

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, खंडपीठ, ग्वालियर के लेटर पेटेंट अपील क्रमांक 75 / 1994 के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 4.3.2002 से ।

एसके दुबे, नीरज शर्मा, विक्रांत सिंह बैस, सुमित कुमार शर्मा अपीलकर्ता की ओर से

सुशील कुमार जैन, पुनीत जैन, प्रतिभा जैन, शंकर दिवते प्रत्यर्थियों की ओर से

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश टी.एस. ठाकुर,जे. के द्वारा पारित किया गया था कि:-

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर, ग्वालियर खंडपीठ की दोहरी खंडपीठ द्वारा पारित 4 मार्च, 2002 के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत लेटर पेटेंट

अपील संख्या 75/1994 आंशिक रूप से अनुमत की गई है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को संशोधित किया गया है।

2. इस अपील में वादी- प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विभाजन और पृथक कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने को बढावा देने वाले तथ्य अपील के तहत निर्णय में निर्धारित किए गए हैं, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कहने की जरूरत सिर्फ यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1, मुकदमे में वादी, ने अपने पिता श्री पन्ना लाल-प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में वर्णित संयुक्त परिवार के 'कर्ता' के रूप में विभाजन का दावा किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, श्री पन्ना लाल की मृत्यु हो गई, जिससे उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में एक अतिरिक्त मुद्दा पैदा हो गया, जिसमें संयुक्त परिवार की संपत्ति में उनका हिस्सा भी शामिल था। अपीलकर्ता ने कथित तौर पर श्री पन्ना लाल द्वारा निष्पादित एक वसीयत तैयार की, जिसके अनुसार मृत वसीयतकर्ता का हिस्सा विशेष रूप से पूर्व को हस्तांतरित होना था। प्रत्यर्थी द्वारा दायर मुकदमे को अंततः निचली अदालत द्वारा फैसल किया गया, जिसमें वादी-प्रत्यर्थी संख्या 1 को संयुक्त परिवार की संपत्ति में 1/5 वां हिस्सा और संयुक्त परिवार व्यवसाय की ख्याति का हकदार अभिनिर्धारित किया। न्यायालय ने यह भी पाया कि अपीलकर्ता द्वारा स्थापित वसीयत को विधिवत साबित कर

दिया गया है और इसके अनुसार, श्री पन्ना लाल द्वारा छोड़ी गई संपत्ति विशेष रूप से अपीलकर्ता को हस्तांतरित होगी।

3. दोनों पक्षों ने अपील दायर की, जिसकी सुनवाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने की, जिन्होंने निर्धारण के लिए निम्नलिखित दो प्रश्न तैयार किए और अंततः अपने आदेश दिनांक 26.9.1994 द्वारा अपील को खारिज कर दिया:

> 1. क्या वादी ने कथित तौर पर प्रतिवादियों की पूंजी में हिस्सेदारी से 21,000/- रुपये की राशि ली थी या उसने इसे पूंजी, घर और अन्य संपत्तियों में अपने हिस्से के रूप में लिया था, जैसा कि प्रतिवादियों ने दावा किया था?
>
> 2. क्या वादी को संयुक्त संपत्ति में कोई हिस्सा मिला है यदि कोई विवाद है और यदि हां तो किस सीमा तक?

4. जहां तक प्रश्न संख्या 1 का संबंध है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की पुष्टि की कि वादी ने पूंजी और ब्याज आदि में अपना हिस्सा लिया था, न कि घर और अन्य संपत्तियों में। निचली अदालत के इस निष्कर्ष की भी पुष्टि की गई कि वादी का पारिवारिक व्यवसाय की ख्याति में हिस्सा था।

5. दूसरे प्रश्न के संबंध में भी निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी

द्वारा अलग होने के अपने इरादे के बारे में नोटिस के तामील से संयुक्त परिवार के शेयरों में विभाजन हुआ था और वादी संयुक्त परिवार में संपत्ति में अपना हिस्सा सुनिश्चित करने एवं विभाजित करने का हकदार था। उच्च न्यायालय ने कहा कि जबकि वादी और उसके भाइयों के पास प्रत्येक का 1/5 वां हिस्सा था, अपने पिता की मृत्यु के कारण बड़े हिस्से के लिए वादी के दावे एवं उत्तराधिकार द्वारा सभी भाइयों को बाद की संपत्ति के हस्तांतरण को प्रतिवादी-अपीलकर्ता गोपाल स्वरूप द्वारा प्रतिपादित वसीयत के आलोक में देखा जाना चाहिए। इसके बाद उच्च न्यायालय ने श्री पन्ना लाल द्वारा वसीयत के निष्पादन से संबंधित साक्ष्यों पर चर्चा की, जिसमें उसके समर्थन में डीडब्ल्यू-2 श्री विलास तिखे की गवाही भी शामिल थी, और यह निष्कर्ष दर्ज किया कि वसीयत का निष्पादन संतोषजनक ढंग से स्थापित किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि वसीयत के आसपास कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ थीं, जिसे उच्च न्यायालय ने एक पंजीकृत दस्तावेज़ बताया था। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष में माना कि वादी के पास प्रश्नगत घर और व्यवसाय की ख्याति में 1/5 वां हिस्सा था और निचली अदालत के निष्कर्ष की पुष्टि की कि वादी के पास आभूषणों की वस्तुओं में एवं फर्म में जमा के रूप में रखी गई सरस्वतीबाई की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि में 1/8 वां हिस्सा था।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असंतुष्ट, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष लेटर पेटेंट अपील संख्या 75/1994 दायर की, जिसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को संशोधित किया गया था। खण्डपीठ ने माना कि श्री पन्ना लाल द्वारा वसीयत का निष्पादन साबित नहीं हुआ था, जबकि अकेले गवाह डीडब्ल्यू-2 विलास तिखे ने यह साबित नहीं किया था कि श्री पन्ना लाल ने मनोज कुमार की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे और मनोज कुमार ने वसीयत पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर भी किये थे। उच्च न्यायालय ने तदनुसार माना कि अपीलकर्ता-वादी और प्रतिवादी 2 एवं 3 को संयुक्त परिवार की संपत्ति में 1/4 प्लस 1/32, यानि 9/32 हिस्सा प्रत्येक को मिलेगा, बाकी हिस्सा घनश्यामदास के अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों एवं श्याम सुंदर एवं मृतक पन्ना लाल की पुत्रियों को मिलेगा। उच्च न्यायालय ने यहां वादी-अपीलकर्ता की तीन बहनों, श्याम सुंदर एवं घनश्यामदास की प्रत्येक शाखा को 9/32 वें हिस्से के साथ अचल संपत्तियों के विभाजन का भी निर्देश दिया।

7. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुना है। एकमात्र सवाल जिस पर हमारे सामने बहस हुई वह यह है कि क्या निचली अदालत के समक्ष प्रतिवादी-अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित वसीयत का निष्पादन संतोषजनक ढंग से साबित हुआ था। अपीलकर्ता की ओर से, यह

तर्क दिया गया कि खण्डपीठ ने निचली अदालत और एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को इस आशय से उलटने में त्रुटि की थी कि वसीयत का निष्पादन संतोषजनक रूप से साबित हुआ था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने वसीयत को प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक डीडब्ल्यू-2 विलास तिखे की गवाही पर भी भरोसा जताया कि उक्त गवाह के बयान ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुपालन में प्रश्नगत वसीयत के निष्पादन को पर्याप्त रूप से साबित कर दिया था। यह तर्क दिया गया था कि लेटर पेटेंट अपील में डीडब्ल्यू-2 विलास तिखे के बयान की उच्च न्यायालय द्वारा उचित विवेचना नहीं की गई थी, और यह मानते हुए एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया गया कि उक्त बयान कानून के अनुसार वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए अपर्याप्त था।

8. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वकील श्री सुशील कुमार जैन ने तर्क दिया कि वसीयत कहे जाने वाले दस्तावेज़ के प्रमाण को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जो कि विद्वान वकील के अनुसार तत्काल मामले में आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया था। विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि केवल तथ्य यह है कि वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज थी, इसका मतलब यह नहीं है कि कानून के

प्रावधानों के अनुसार इसके निष्पादन के संबंध में साक्ष्य को खारिज किया जा सकता है।

9. एक सिविल द्वितीय अपील की सुनवाई कर रहे एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न एक लेटर पेटेंट अपील में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ तथ्य की खोज को रिकॉर्ड करने के लिए सबूतों की दोबारा विवेचना नहीं करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 द्वारा न्यायालय पर लगाई गई सीमाओं के आलोक में एकल न्यायाधीश स्वयं ऐसा नहीं कर सकता है, हालांकि, यह सच नहीं हो सकता है जब एकल न्यायाधीश उसके सामने दायर प्रथम अपील में कोई आदेश पारित करता है। यहां तक कि जब एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्य का निष्कर्ष निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की पुष्टि कर सकता है, तो लेटर पेटेंट अपील की सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा ऐसे किसी भी निष्कर्ष की जांच करने पर कोई जाहिरा रोक नहीं है। ऐसा कहने के बाद, हमें जल्दी यह जोड़ना चाहिए कि तथ्य की खोज की जांच के लिए किसी भी कानूनी रोक के अभाव में भी, एक लेटर पेटेंट बेंच, निचली अदालत एवं एकल न्यायाधीश द्वारा प्रथम अपील में दर्ज किए गए तथ्य की समवर्ती खोज में हस्तक्षेप करने से दूर रहेगी। न्यायालय वहां हस्तक्षेप कर सकता है जहां निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है, तर्कहीन है या बिना किसी साक्ष्य के विकृत है। विवेकाधीन होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रयोग किये जाने वाले क्षेत्राधिकार का प्रयोग न्यायिक तर्ज

पर किया जाना चाहिए। (देखें श्रीमती आशा देवी बनाम दुखी साव एवं अन्य 1974 (2) एसएससी 492 एवं बी. वेंकटमुनि बनाम सी.जे. अयोध्या राम सिंह एवं अन्य (2006) 13 एसएससी 449)

10. निचली अदालत एवं उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने, वर्तमान मामले में, वसीयत के निष्पादन को संतोषजनक ढंग से साबित किया था। हालाँकि, लेटर पेटेंट बेंच ने उस निष्कर्ष को मुख्य रूप से इस आधार पर उलट दिया है कि वसीयत का निष्पादन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के साथ पढ़े गए साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में साबित नहीं होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 इस प्रकार है:

> "68. *ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है* - यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाएगा, जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित और न्यायालय की आदेशिका के अध्यधीन हो एवं साक्ष्य देने के योग्य हो, उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से नहीं बुलाया गया हो :

परन्तु ऐसी किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए, जो वसीयत नहीं है और जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसका निष्पादित होना तात्पर्थित है विनिर्दिष्टतः नहीं किया गया हो ।"

11. यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहां साबित करने के लिए मांगे गए दस्तावेज़ को कानून द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है, उसे तब तक साक्ष्य में नहीं रखा जा सकता जब तक कि साक्ष्य देने वाले गवाहों में से कम से कम एक को साक्ष्य साबित करने के प्रयोजन से नहीं बुलाया गया हो, यदि ऐसा कोई भी अनुप्रमाणक साक्षी जीवित है और साक्ष्य देने में सक्षम है और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 विशेषाधिकार रहित वसीयत के निष्पादन से संबंधित है और अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि उक्त प्रावधान में उल्लिखित लोगों को छोड़कर प्रत्येक वसीयतकर्ता अपनी वसीयत को उसमें निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पादित करेगा। जो की निम्नानुसार है:

"63. *विशेषाधिकार रहित वसीयत का निष्पादन* - प्रत्येक वसीयतकर्ता, जो किसी अभियान में नियोजित या वास्तविक लड़ाई में लगा हुआ सैनिक या इस प्रकार नियोजित या लगा हुआ वायु सैनिक या समुद्र पर कोई जहाजी नहीं है, अपनी वसीयत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निष्पादित करेगा :-

(क) वसीयतकर्ता वसीयत पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अपना चिह्न लगाएगा या उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार हस्ताक्षर किये जाएंगे,

(ख) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिह्न या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ऐसे किए जाएंगे या लगाए जाएंगे कि उससे यह प्रकट हो कि उसके द्वारा लेख को वसीयत के रूप में प्रभावी करने का आशय था;

(ग) वसीयत को ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जिसमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए या चिह्न लगाते हुए देखा है या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत पर

हस्ताक्षर करते हुए देखा है या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिह्न की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है एवं प्रत्येक साक्षी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक साक्षी एक ही समय पर उपस्थित हो एवं अनुप्रमाणन का कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं होगा।

12. उपरोक्त निकाले गए दो प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि एक वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा है या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश से वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है या वसीयतकर्ता से हस्ताक्षर या चिह्न या उसके हस्ताक्षर या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है और प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68, साक्ष्य में वसीयत के उपयोग के खिलाफ है जब तक कि निष्पादन को साबित करने के लिए एक प्रमाणित गवाह की जांच नहीं की गई हो।

13. हालाँकि, सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित वसीयत, जिसे दो गवाहों, अर्थात् मनोज कुमार और विलास तिखे द्वारा प्रमाणित किया गया है, वैध रूप से साबित हुई है। यह विवादित नहीं है कि उक्त गवाहों में से एक विलास तिखे को गवाह के रूप में बुलाया गया है और उससे पूछताछ की गई है। देखने वाली बात यह है कि क्या उक्त गवाह की जांच उत्तराधिकार अधिनियम (सुप्रा) की धारा 63 की आवश्यकताओं को पूरा करती है। धारा 63 के प्रावधानों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चलेगा कि वसीयत के निष्पादन के प्रमाण के लिए निम्नलिखित पहलुओं को साबित करने की आवश्यकता होगी:"

(1) कि वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं या अपना चिन्ह लगाया है या वसीयत पर वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देशन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

(2) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिन्ह या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर इस प्रकार किये गए हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य लेखन को वसीयत के रूप में प्रभावी करने का आशय था।

(3) यह कि वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित की गई है, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं या उस पर अपना चिन्ह लगाया है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वसीयतकर्ता की

उपस्थिति में और उसके निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा गया है या वसीयतकर्ता से हस्ताक्षर या चिन्ह या किसी दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है।

(4) कि प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं।

14. भगवान कौर पत्नी बचन सिंह बनाम करतार कौर पत्नी बचन सिंह एवं अन्य 1994 (5) एससीसी 135, सेठ बेनी चंद (मृत्यु के पश्चात से) अब जरिये विधिक उत्तराधिकारीगण बनाम श्रीमती कमला कुँवर एवं अन्य 1976 (4) एससीसी 554, जानकी नारायण भोईर बनाम नारायण नामदेव कदम 2003 (2) एससीसी 91, गुरदेव कौर एवं अन्य बनाम काकी एवं अन्य 2007 (1) एससीसी 546, युमनाम ओंगबी ताम्फा इबेमा देवी बनाम युमनाम जॉयकुमार सिंह एवं अन्य, 2009 (4) एससीसी 780, रुर सिंह (मृत) जरिये विधिक उत्तराधिकारीगण एवं अन्य बनाम बचन कौर, 2009 (11) एससीसी 1 एवं अनिल काक बनाम कुमारी शारदा राजे एवं अन्य 2008 (7) एससीसी 695 मामलों में इस न्यायालय के निर्णय उपरोक्त ऊपर बताई गई आवश्यकताओं को मान्यता देते हैं एवं दोहराते हैं जो मौजूदा वसीयत की तरह एक विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत के निष्पादन के प्रमाण के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, इनमें से प्रत्येक घोषणा से संबंधित तथ्यों और उन मामलों में प्रवृत्त और निर्धारित किए गए सटीक

तर्क के विस्तृत संदर्भ द्वारा इस निर्णय पर बोझ डालना आवश्यक नहीं है। इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या धारा 63 में निर्धारित और ऊपर विशिष्ट रूप से गिनाई गई आवश्यकताओं को वसीयत के अपीलकर्ता प्रस्तावक द्वारा तत्काल मामले में संतुष्ट किया गया है। उस प्रश्न पर हमारा उत्तर सकारात्मक है। श्री विलास तिखे के बयान से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि पन्ना लाल ने अपीलकर्ता गोपाल स्वरूप के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी और उनकी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किये थे। निचली अदालत एवं हाई कोर्ट ने एक साथ माना है कि वसीयतकर्ता द्वारा गवाहों की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 के तहत निर्धारित पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता स्पष्ट रूप से संतुष्ट है।

15. दूसरी आवश्यकता अर्थात् वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर की बात करें तो हम पाते हैं कि वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर वसीयत के दाहिने निचले हिस्से में दिखाई देते हैं। इसलिए, दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर का स्थान उचित और स्पष्ट रूप से इस तथ्य का संकेत है कि दस्तावेज़ को वसीयत के रूप में प्रभावी करने का आशय था। हमें यह भी उल्लेख करना चाहिए कि दस्तावेज़ पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर के उचित स्थान की आवश्यकता पर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया था।

16. यह हमें तीसरी आवश्यकता पर लाता है, अर्थात्, वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते एवं अपना चिन्ह लगाते हुए देखा हो या किसी अन्य व्यक्ति को, वसीयतकर्ता की उपस्थिति में एवं निर्देश पर, हस्ताक्षर करते देखा हो। हमारी राय में श्री विलास तिखे का बयान इस आवश्यकता को भी पूरा करता है क्योंकि गवाह ने स्पष्ट एवं असंधिग्ध शब्दों में कहा है कि न केवल वह बल्कि वसीयत को प्रमाणित करने वाला अन्य गवाह श्री मनोज भी वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर करते समय मौजूद था। यह उल्लेखनीय है कि, उपरोक्त कथन पर जिरह में कोई सवाल नहीं उठाया गया है और न ही इस आशय का कोई सुझाव दिया गया है कि जब गवाह श्री विलास तिखे उपस्थित थे, तो मनोज उस समय उपस्थित नहीं थे जब वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर किए गए थे। वास्तव में, गवाह ने एक स्पष्ट बयान दिया है कि मनोज ने वसीयतकर्ता से न्यायालय में मुलाकात की थी और उसे अपने साथ ले जाया गया था और न केवल वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर करने के समय, बल्कि रजिस्ट्रार के समक्ष भी, मनोज कुमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। गवाह ने जिरह में एक सवाल का जवाब देते हुए विशेष रूप से कहा कि जिस समय गवाह ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे, उस समय भी मनोज मौजूद था।

17. श्री विलास तिखे डीडब्ल्यू-2 के बयान को सावधानीपूर्वक एवं उचित ढंग से पढ़ने पर, हम संतुष्ट हैं कि दो गवाहों द्वारा वसीयत के सत्यापन की आवश्यकता, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते हुए देखा है, वर्तमान मामले में. पूरी हो गई है । चौथी आवश्यकता यह कि प्रमाणित करने वाले गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करें, जो की दृढ़ता से कायम है । मामले को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह निर्णय लेने में त्रुटि की कि वर्तमान मामले में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 की आवश्यकता पूरी नहीं हुई है। जैसा कि इस न्यायालय ने एच. वेंकटचला अयंगर बनाम बी.एन. थिम्माजम्मा एआईआर 1959 एससी 443 में अवलोकन किया था, दस्तावेजों के साक्ष्य के मामले में और वसीयत के साक्ष्य के मामले में, गणितीय निश्चितता के साथ साक्ष्य की उम्मीद करना व्यर्थ है। हमेशा लागू की जाने वाली कसौटी ऐसे मामलों में विवेकशील मस्तिष्क की संतुष्टि की कसौटी है। उस परीक्षण को मौजूदा मामले में लागू करने पर हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री पन्ना लाल द्वारा निष्पादित वसीयत, जो एक विधिवत पंजीकृत दस्तावेज है, किसी भी प्रकार की किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी नहीं है और यह विधिवत और उचित तरीके से निष्पादित साबित हुई है।

18. परिणामस्वरूप, यह अपील सफल साबित होती है एवं इसकी अनुमति दी जाती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर, ग्वालियर

खंडपीठ की दोहरी खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है और उस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल किया गया है। पक्षकार अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

डी. जी. अपील स्वीकार की गयी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्वेता दाधीच (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।